राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
ग्रामीण विकास (अनुभाग–6) विभाग

क्रमांक एफ. 8(68)ग्रावि/अनु.–6/जीजीजेवीवाई/गाईडलाईन/दिस. 2019/26154-26304 जयपुर, दिनांक 19 MAR 2020

परिपत्र

::महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना::

विभागीय आदेश दिनांक 06.02.2020 द्वारा पूर्व में संचालित गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना किया गया है। उक्त आदेश की अनुपालना में महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना के दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते है।

1.0 प्रस्तावनाः–

1.1 वर्तमान वर्ष को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयन्ती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ग्राम स्वराज की अवधारणा गांधी चिन्तन के बुनियादी सूत्रों में से एक है और यह पूर्ण रूप से जन सहभागिता पर ही आधारित हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख–रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना प्रारम्भ की जा रही है। योजनान्तर्गत विकास कार्यों का चयन जन समुदाय की आवश्यकता के अनुसार किया जाकर कार्य करवाये जायेंगे।

2.0 योजना के उद्देश्य :–

2.1 गांव के विकास के लिए आवश्यक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण (सामुदायिक पुरासंपदाओं के संवर्द्धन, संरक्षण एवं सुरक्षात्मक कार्यों सहित)

2.2 रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन।

2.3 स्थानीय समुदाय में स्वावलम्बन एवं आत्म निर्भरता को प्रोत्साहन।

2.4 सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख–रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहन।

2.5 ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार।

3.0 योजना की विशेषताएं :–

3.1 यह राज्य वित्त पोषित योजना है जो कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों मे ही लागू होगी।

3.2 इस योजना के तहत नवीन कार्य स्वीकृत किये जायेंगे। विशेष परिस्थितियों में अन्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन/अपूर्ण कार्यों को इस योजनान्तर्गत सम्मिलित किया जा सकेगा।

3.3 इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य का वित्त पोषण निम्नानुसार होगा :–

		जन सहयोग
i	सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु	30 प्रतिशत
ii.	सृजित परिसम्पत्ति पर दानदाता का नाम अंकन करने की स्थिति में	51 प्रतिशत
iii.	श्मशान/कब्रिस्तान की चारदीवारी मय सुविधाओं यथा वृक्षारोपण, टीन शेड़, चबूतरा आदि का निर्माण	10 प्रतिशत
iv	अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्र (ग्राम के कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों को सम्मिलित करते हुये 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनगणना 2011 में हो)	20 प्रतिशत

मापदण्डों के अनुसार स्वीकृत कार्यों के लिए शेष राशि राज्य मद से उपलब्ध कराई जायेगी। उक्त कार्यों को मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत अनुमत कार्य होने की स्थिति में डबटेल भी किया जाने का प्रयास किया जायेगा।

3.4 जनसहयोग की राशि का वहन स्थानीय समुदाय/सामाजिक संगठन/गैर सरकारी संस्था/ट्रस्ट/पंजीकृत संस्था/व्यक्तिगत दानदाता द्वारा किया जा सकेगा। जनसहयोग की राशि पंचायत समिति/जिला परिषद में नकद/डिमान्ड ड्राफ्ट से जमा करायी जा सकेगी।

4.0 कार्यों के प्रस्ताव :–

4.1 योजना के अन्तर्गत श्मशान एवं कब्रिस्तान की चारदीवारी सहित स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता के कार्य करवाये जा सकते हैं, जिससे सामुदायिक परिसम्पत्तियों/सुविधाओं का सृजन हो एवं गांव में त्वरित आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो।

4.1.1 योजना के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत रहते हुए गौशाला/गौसदनों में टिकाऊ प्रवृतियों की परिसम्पत्तियों का सृजन निम्नांकित शर्तों के साथ कराया जा सकेगा :–

i. राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1957 के तहत पंजीकृत संस्था/ ट्रस्ट जो सामाजिक सेवा कल्याणकारी गतिविधियों में इंगेज्ड हो तथा कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में हो।

ii. पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट का राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 के तहत पशुपालन विभाग से कम से कम 3 वर्ष से पंजीकृत हों एवं संस्था द्वारा गौशाला संचालन की गतिविधियां गत 3 वर्ष से अधिक अवधि से संचालित की जा रही हो।

iii. संस्था के पास गत तीन वर्षों से कम से कम 200 गायें निरन्तर रही हो तथा गौवंश का पालन पोषण किये जाने के साथ साथ स्वयं के स्वामित्व की लगभग 5 बीघा भूमि होनी चाहिए।

iv. संस्था की तीन वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार गौ सेवा कार्यों पर संस्था द्वारा किये गये व्यय के आधार पर जिला कलक्टर द्वारा संस्था का प्रस्ताव अभिशंषित होने पर।

v. संस्था के कार्य की पारदर्शिता एवं सुदृढ़ वित्तीय स्थिति आदि को दृष्टिगत रखते हुए संस्था को गौ सेवा के कार्यों के लिए सुस्थापित एवं प्रतिष्ठित होने बाबत जिला कलक्टर द्वारा संतुष्टि रिपोर्ट होने पर।

vi. गौशाला के लिए निर्माण कार्य हेतु राशि स्वीकृत करने का संस्था का प्रस्ताव जिला कलक्टर से अभिशंषित होना अनिवार्य होगा।

(विभागीय परिपत्र प. 8(14)ग्रावि/अनु.8/2014 दिनांक 27.04.2016 से प्रतिस्थापित)

vii. गौशाला हेतु सृजित होने वाली परिसम्पत्तियां जनता के उपयोग हेतु सदैव उपलब्ध रहने पर।

viii. सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगा। इन परिसम्पत्तियों का बेचान/हस्तांतरण/खुर्द–बुर्द किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं होगा।

ix. गौशाला के लिए सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख–रखाव का दायित्व लाभार्थी संस्था द्वारा सुनिश्चित किये जाने पर।

x. संस्था द्वारा नियमित रूप से वार्षिक रिपोर्ट एवं अंकेक्षित लेखे जिला कलक्टर को देने होंगे।

xi. लाभार्थी संस्था द्वारा राज्य सरकार (जिला कलक्टर) के साथ उक्त शर्तों को स्वीकार करने हेतु अग्रिम रूप में औपचारिक अनुबंध निष्पादित करने के उपरान्त।

xii. गौ सेवा कार्य के लिए किसी एक ट्रस्ट/गैर सरकारी संस्था के लिये एक या एक से अधिक कार्यों के लिये किसी भी स्थिति में 10.00 लाख रूपये तक की सीमा मे अधिक राशि के कार्य स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

4.1.2 गौशाला/गौसदनों के कार्यों के प्रस्ताव में निम्न को शामिल किया जा सकेगा :–

i. गौआवास, पक्का फर्श, नाली निर्माण एवं गौमूत्र टैंक निर्माण (गौशाला परिसर)।
ii. नंदीशाला आवास निर्माण।
iii. चारा भण्डार गृह।
iv. चारदीवारी निर्माण।
v. स्वच्छ पेयजल हेतु खेली निर्माण।
vi. बायोगैस संयंत्र।
vii. वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, नेडेप कम्पोस्ट निर्माण।
viii. अजौला पूरक आहार हेतु निर्माण

4.1.3 गौशाला/गौसदनों के कार्य के साथ साथ गौ अभ्यारण्यों से संबंधित निम्न कार्य करवाये जा सकेंगे :–

i. चारा उत्पादन संबंधी कार्य (मनरेगा से कन्वर्जेन्स द्वारा)
ii. ओपनवैल (नवीन कुआ निर्माण) संबंधी कार्य
iii. ट्यूबवैल लगाने के कार्य
iv. शक्ति चलित कुट्टी मशीन लगाने का कार्य